

CERTIFICATE OF RECOGNITION

DISTRICT EDUCATION OFFICE HEADQUARTER, KOTA (RAI ) <sup>SECONDARY</sup>

(Name & Address of the issuing authority)

No. 325-326

Date: 22-8-2023

To :-

SHIV JYOTI CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL  
RATHKANKARA RAVATBHATA ROAD KOTA

(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under RULE- 2011 Rule B-K SUBROTHI (4) (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated ..... and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to SHIV JYOTI CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL RATHKANKARA RAVATBHATA ROAD KOTA (Name & Address of school) for class I to VIII standard for the period ..... (no. of years) from the academic year ..... to ..... in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule ..... of ..... (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year APRIL ..... to MARCH ..... and is to be renewed at an interval of every ..... years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the ..... (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of ..... (%) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

  
PRINCIPAL

SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA

  
Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidya  
Niketan Shiksha Sansthan

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child,-
  - a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
  - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
  - a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
  - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
  - c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
  - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the ..... (rule/ clause of State Act).
  - e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under ..... (rule/ clause of the state Act).
  - f. The teachers perform his duties specified under ..... (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in ..... (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the ..... RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT 1958 (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. ..... (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under ..... (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

  
PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA

  
Secretary  
Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti



अजमेर

### **प्रैषक :-**

सचिव,  
प्राधिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,  
अजमेर।

३५८

प्रधानाधार्य,  
विषय व्योति उच्च मान्यमानक विद्यालय,  
लखणी, कोटा

काम्पक - मान्यता/ ३२३४/२०००/ १०

Digitized by srujanika@gmail.com

२५०

मुख्यकार्य विभाग की अपेक्षा विद्यालय की नियन्त्रण सत्राधिकारी / उच्च माध्यमिक  
स्तर पर वर्ष ... 2000 ... से मान्यता प्रदान की जाती है।

अनिवार्य विषय : हैंडी, मुखी.

**क्षता का** विशेष विनाशी, विशेष अंगीरी, अस्त्रात्म, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान.

विद्यालय वर्ष: सौरीक्त विद्यालय, रत्नागंगा विद्यालय, बांड विद्यालय, ...

1985

भद्रोली  
मुख्य  
निदेशक

प्राचीन भारत - भगवद्गीता /

परिवर्तन को सर्वानुरूप शेषित ।

- निर्देशक, व्याख्यातिक विद्या, प्रबन्धशास्त्र, योक्तव्याद.
  - जिता जिता अधिकारी, भाष्यमित्र, प्रधानहितियां

**Principal**  
**Smt Jyoti Sr. Sec. School**  
**Maya Nohra, Borkhandi**  
**Tatwandi, Kota (Raj.)**

PRINCIPAL

**SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA**

## Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

आदेश :-

राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक ५० ८ (५५) दिनांक २१.०९.२००५ एवं २३.०५.२००७ के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति अल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सैकप्टरी, स्कूल, नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा को वर्तमान स्थान से रथकांकरा, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी हैशिक संस्था अधिनियम १८८९ एवं नियम १९९३ की पालना करनी होगी।

- ४ -

उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
वीकानेर

- क्रमांक : शिविरा-माल्य/मा/अ-२४३/भप/शिव ज्योति/११ दिनांक : २३.१०.११  
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-  
 १. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, २ सामुदायिक क्लॉड, प्रीत विहार, नई दिल्ली-११० ३०१ को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र में उपरोक्तानुसार संरोधन कर सुधित करें।  
 २. जिसा शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा  
 ३. सचिव, शिव ज्योति दाल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा  
 ✓ ४. संबंधित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सैकप्टरी स्कूल, नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा  
 ५. गार्ड पंजिका

उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
वीकानेर

Manager  
School Managing Board & Academic Change order-2011.doc  
Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

  
PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA

  
Secretary  
Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

  
PRINCIPAL  
Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

**आदेश**

, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक ८४ (५५) शिक्षा-५/०४ जयपुर दिनांक 21.03.2005 एवं 23.05.2007 के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति गाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवडी, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सेकंडरी स्कूल तलपवडी, कोटा को वर्तमान स्थान तलपवडी, कोटा से नया नोडसा, बोरखपड़ी, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान और सरकारी सेक्विल संस्था अधिनियम 1999 एवं नियम 1993 की पाजना करनी होगी।

Sd/-  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविर—माध्य/मा/अ-२-३/भ०५०/शिव ज्योति/१० दिनांक -२-४-१०  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही इन्हें :-

1. सचिव, लेन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-२, सामुदायिक केन्द्र, ग्रीष्म विडार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-९२ को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण में उपरोक्तानुसार संशोधन कर सुविधा करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
3. सचिव, शिव ज्योति गाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवडी, कोटा
4. संबंधित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सेकंडरी स्कूल तलपवडी, कोटा
5. गार्ड पंजिका

JAI  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

PRINCIPAL  
Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Rathikankara, Kota-9 (Raj.)

Manager  
School Managing Committee  
Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Rathikankara, Kota-9 (Raj.)

*Signature*  
PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHIKANKARA, KOTA

*Signature*  
Secretary  
Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

शिवज्योति शिक्षा बोर्ड, कानून - संस्थाएँ, कोटा

कार्यालय - बांडी

जिन ज्योति बाल विद्या क्लिवलन, तजवणी, कोटा की  
निम्न छात्रों के बाबार पर मुक्त स्तर की प्रमुख वस्थायी भास्त्रता  
दिनांक १५-८-८२ से दिनांक ३०-८-८२ तक तत्काल प्रभाव से प्रदान  
की जाती है ।

शर्तें -

- १:- बृहस्पति के नाम पांच रुप्य है जिसे उत्तरित कार्य में २०००/-  
जना चाहिया जाए ।
- २:- प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जाए ।
- ३:- नियुक्ति है सभी विद्यार्थी प्रतिनिधि बृहस्पति जाव ।
- ४:- छात्रों का साम्यवृत्त परिचाण जारी रखा जावे ।
- ५:- बाहिर फैलाया जाए ।

हस्तांतर

जिला शिक्षा बोर्डिंग,  
कानून - संस्थाएँ, कोटा

क्रमांक: विश्वाला। साता - प्राप्तिः। ८२-८। ०३। ०३। १३। १५। दिनांक २ भाद्र, ८२  
प्रतिलिपि निम्न की सूचनाएँ एवं यात्रार्थ : -  
१:- प्रथा गांधीपक, जिन ज्योति बाल विद्या क्लिवलन तजवणी, कोटा ।  
२:- बाहिर नामांकन उमारी, सानीय कायलिय ।

जिला शिक्षा बोर्डिंग,  
कानून - संस्थाएँ, कोटा

७/८/८२

Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. Sec.  
Naya Nohra, Burkha  
Talwandi, Kota (R)

भागर ।

~~C~~  
Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

  
PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA

कार्यालय जिला शिक्षा बोर्ड की तात्पुरता से भाग में फैला  
उमा कॉ-विश्विला, कौना-निम, ८४-८५/२६-२८ दिनांक १०-३-१९८८

कार्यालय बाबू

शिव ज्योर्ट नाम प्रिया जिले की एक छात्रा नियमित छात्र द्वारा  
स्कूल बोर्ड की नियमित लाभार्थी हों परन्तु मानवता-तत्त्वों के अधीन  
प्रभावी/एच प्राथमिक इतर तक की मानवता पूर्णतया बहस्ताई तोर पर दिनांक  
३० जून १९८८ की अवधि के लिये शिवद्वारा प्रदान की जाती है।

इसी ग्रा में नियमित लिया जाता है कि नियम लिन्द्वरों पर ५-प्रति  
ध्यान दिया जावे तथा पाख्तु और रिपोर्ट दे साह की अवधि में इस कार्यालय  
की प्रस्तुत की जावे।

(१) शास्त्र और विद्यालय अध्ययन लें जावे।

(२) अध्यापकों को नियमित नियमित लेना चाहा जावे।

(३) अध्यापकों की नियुक्तियों के बारे लगानी नियमित रूप से जावे।

(४) द्वितीय वर्षीय विद्यालय बर की लेने वाले विद्यार्थी  
को लाइब्रेरी कराया जाकर उसकी सत्यापिता जानिये काढ़ाय  
की ओष्ठी की जावे।

(५) लॉटोड गोड जी सुनें दक्षिण नियमानुसार दी जावे।

मानवता के लिए नियार्थित तत्त्वों हों पावन न करें अथवा मानवता के प्रद  
पाये जाने की स्थिति में वह विभागीय मानवता तरन्त प्रभाव दे समाप्त इस  
दी जावेगी।

विद्यु शिक्षा बोर्ड  
जिला प्रस्तावी की टा

प्रतिनियोप सूतनाथ एवं आकाश कार्यालयों देव-

१- भाष्यक विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेना चाहा जावे।

२- इनियिक्ट जिला शिक्षा बोर्ड लेना चाहा जावे।

३- लॉटोड गो जिला शिक्षा बोर्ड लेना चाहा जावे।

४- ऐक्षिक प्रतिवेद राशीय कराये।

५- नामांकित प्रभारी राशीय कराये।

६- गोप्ता कराये।

~~Secretary~~

Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Ratnagiri

PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATNAGIRI, KOTA

राजस्वान-सहकार  
१९७७ शुक्र- १ अक्टूबर  
श्रीमद्भृत-एक १४८। श्रिवत-१८७

जप्तुर, दिनांक: १७.२.१९८६

प्राचीन क एवं प्राचीनिक भाषा,  
राजस्थान, गोकाले ।

**विषेधः-हृत्वा प्रश्नेन विदात् एते मात्राणि स्तर परं त्रयोन्नतं**

三

जिसका द्वारा नियन्त्रित मानवता प्राप्त हन्त माध्यमिक विकासों  
तो उन्हें आपै उन्हीं सब हैं। यदि किसी द्वारा यह व्यवस्था बनत दिये जाने हेतु शाध्यमिक  
विकास बर्दार, अपै और प्राचलन प्रदान करता है तो राज्य एवं दार दोनों ग्रामपत्रिक  
कही जाती है:-

ପ୍ରକାଶ ନିଧିବଳ୍ୟ ରାଜୀ

सत्र

- |   |         |
|---|---------|
| १. डिस्ट्रिक्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय, झारुडी कार, अंडमान     | 1988-89 |
| २. गारस्ती विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामेश्वरम         | 1988-89 |
| ३. झारुडी सेन्ट्रल उच्च प्राथमिक विद्यालय, झारुडी नगर, जोधपुर | 1988-89 |
| ४. विविधपोर्टिव वालीवाडा निवेशन उच्च प्राथमिक, नलनगढ़ी, गोटा  | 1987-88 |
| ५. गोटा, राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोटा                | 1988-89 |
| ६. बंगर चार उच्च प्राथमिक विद्यालय, झारुडी पुरा, जोधपुर।      | 1987-88 |
| ७. हेंड्रेट उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाजरा                    | 1988-89 |

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4550 or via e-mail at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

१. अप्रैल के दूसरे तिथि विष्णुवेदी विश्वामित्र का विजय हुआ।

3. अप्रकाश अंग्रेज ने पत्र बोर्ड से प्राप्त कर निर्दोषता के लाभवस्तु से विद्युत विद्युताधारा बांधा।

५. राष्ट्र-सरकार योरा इच्छा हेतु आगामी पाँच वर्ष तक नीरह अनुदान देव नहीं होगा।

二四

5/0

विष्णुनस्त महता।  
विष्णुनामिद्युरी, विष्णु

कार्यस्थल निवेदन, प्राप्तिकरण एवं प्राप्तिकरण विवाद, रजस्थान, बोनिनेर।

प्रकाशक: प्रियंका/प्राप्तिक्रम/प्राप्ति-4/21313/83

Digitized by 27.2.88

प्रतिलिपि = ८

- १८ विष्णु विश्वासी, शिवाद्युता-। विष्णु, रघु व्याज, अप्युर ।  
 २० उचित, मातृप्रिय शिवा देहै, रघु व्याज, अप्युर ।  
 ३१ संषुक्ता निदेश्वराद्युतविष्णु-। विष्णु, रघु व्याज ।  
 ४४ विष्णु लप्तिदेश्वराद्युतविष्णु-। विष्णु, रघु व्याज, अप्युर ।  
 ५५ विष्णु उद्दनेश्वराद्युतविष्णु-। विष्णु, रघु व्याज ।

<sup>1</sup> See, e.g., *U.S. v. Babbitt*, 100 F.3d 1250, 1254 (10th Cir. 1996) (“[T]he [Bald Eagle] Act does not prohibit the killing of bald eagles; it prohibits the ‘take’ of bald eagles.”); *U.S. v. Ladd*, 100 F.3d 1250, 1254 (10th Cir. 1996) (“[T]he [Bald Eagle] Act does not prohibit the killing of bald eagles; it prohibits the ‘take’ of bald eagles.”).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

## ~~Secretary~~

**PRINCIPAL**  
**SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL**  
**RATHKANKARA, KERALA**

Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti

✓ Principal ✓  
Anvayati Sr. Sec. School  
Kharibatra, Borkhat 1

श्री नित्यानन्देश, प्राथमिक स्व. राजस्थान 1441, कोटा, राजस्थान  
फॉर्म : राजस्थान माध्यमिक स्व. १३१४/५/१९६-७८ नंबर : २४६९६  
सभापति,  
प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,  
कोटा।  
राज्य : नैर तरलारी माध्यमिक स्व. १०५ वी. लीनिंग माध्यमिक  
स्व. कर छुट्टीनाली।

महोदय,  
नैर तरलारी निम्न और तरलारी माध्यमिक स्व. १०५ वी. लीनिंग माध्यमिक  
शिक्षा अधिकारी जो जनवरी वर्ष १९६६-७८ ते इसके बाद के तास्के अधिकारी  
संघर्ष स्व. विषय में लीनिंग माध्यमिक स्व. १०५ वी. लीनिंग करने की स्वीकृति निम्न  
शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

संघर्ष वा नाम	तिथि	विषय	प्र. विषय
स्व. लीनिंग वाल रेक्टर विद्यालय माध्यमिक, लीनिंग, राजस्थान छात्र, निकेतन, लीनिंग, लोटा वार्षिक	इस विद्यालय माध्यमिक, लीनिंग, राजस्थान छात्र का विद्यार्थी, जीवी विद्यालय जीवाली, नावदिवाली क्षेत्र छुट्टीनाली	इस विद्यालय माध्यमिक, लीनिंग, राजस्थान छात्र का विद्यार्थी, जीवी विद्यालय जीवाली, नावदिवाली क्षेत्र छुट्टीनाली	

शर्तों : १। स्वीकृत कर्मिनाली के बारे में ज्ञान। एवं वाद के बारे में विज्ञा-१२  
प्रारम्भ जीवी जाए।

२। नियमानुसार नूनाम राजस्थानी का प्रयोग जारी रखें।

३। इस द्वारा जीवी जाए जूलान द्वारा जीवी जाए तथा संस्था की  
लो. राज. पर लोडी कानून का बीमारी वाली जीवी जाए तो भी।

४। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अधिकारी जो बीमारी वाली जाए तो जूलान द्वारा जीवी जाए।

५। तंत्रज्ञ ओ. राजस्थान और तरलारी विधि विधिय १९८९ वर्ष  
राजस्थान और नरलारी विधि संस्था माध्यमिक, लीनिंग, लोटा और  
तेला जीवी जाए। अवधि १९९३ में वार्षा लीनिंग वार्षा, जीवी स्व.  
प्रारम्भी जीवी जाए। जीवी जाए।

६। विभागीय विधियों एवं विधियों वी. वाला जीवी जाए।

७। उत्तरोत्तर दारों में विद्या विद्यार्थी राजस्थान राज्यकृति के विरिचन जीवी  
जीवी जाए।

महोदय,

ज. नित्यानन्देश  
प्राथमिक स्व. माध्यमिक विधि,  
राजस्थान, कोटा।

निम्नांकित : निम्नांकित जो जीवी जाए जीवी जाए है :-

जीवी विद्यार्थी, जीवी जीवी जाए, राजस्थान, जीवी जाए।

१। जीवी जीवी जीवी जाए, विद्या निकेतन, लीनिंग, लोटा।

२। जीवी जीवी जीवी जाए, विद्या निकेतन, लीनिंग, लोटा।

३। जीवी जीवी जीवी जाए, विद्या निकेतन, लीनिंग, लोटा।

४। जीवी जीवी जीवी जाए, विद्या निकेतन, लीनिंग, लोटा।

५। जीवी जीवी जीवी जाए, विद्या निकेतन, लीनिंग, लोटा।

Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. School  
Naya Nohra, Borkhandi  
Tehwandi, Kota (Raj.)

PRINCIPAL  
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL  
RATHKANKARA, KOTA

Secretary  
Shiv Jyoti Bal Vidhya  
Niketan Shiksha Samiti